प्रकरण संख्या 76/2017 पेमाराम बनाम भंवरलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.11.2022	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल अपीलान्टगण ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 183 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा भीम में आराजी नंबर 11794 रकबा 3 बिस्वा भूमि स्थित है। मौजा भीम का पहले नाम मण्डला था जो 1350 फसली तद्नुसार सन् 1944 में उसका खेवट खाता नंबर 1507 था जो शामलात देह कमेटी की जमीन थी, जिसके साबिक नंबर 12675/14517 रकबा 42 बीघा 3 बिस्वा किस्म मगरी थे। उक्त भूमि संवत् 2015 में और उसके पूर्व शामलात देह के खाते में संवत् 2019 तक दर्ज रही, किन्तु संवत् 2020 से 2026 में बिलानाम सिवायचक दर्ज हो गयी। प्रतिवादी भंवरलाल के पिता चनणमल उर्फ चन्दनमल का कभी भी संवत् 2026 तक कल्टीवेटरी पजेशन नहीं रहा इसलिए बाई आपरेशन ऑफ लॉ प्रतिवादी भंवरलाल के पिता चनणमल उर्फ चन्दनमल को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं जागीर बिस्वेदारी अबोलेशन अधिनियम के तहत कोई खातेदारी अधिकार कानूनन हासिल नहीं हुए इसलिए वह कानूनन खातेदार नहीं है। उक्त भूमि प्रतिवादी भंवरलाल के पिता चनणमल उर्फ चन्दनमल को न तो कभी आवंटित हुई, न ही नियमन से खातेदारी अधिकार मिले। इसलिए प्रतिवादी भंवरलाल व उसके पिता वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं हैं, किन्तु उक्त आराजी पर प्रतिवादी ने नाजायज कब्जा 2 माह पूर्व कर लिया है, जो नाजायज कब्जे शुदा भाग वादी के खेत नंबर 11871 की सीध में पूर्व में खसरा नंबर 11794 पर कब्जा वादीगण का चला आ रहा है। अतः विवादित आराजी नंबर 11794 में स्थित पाटी रकबा 18 बिस्वा का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाजायज कब्जा हटाया जावे तथा कब्जा वादी को दिलाया जाकर तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 26.05.2016 को वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08.12.2017 को प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1/1 व 1/2 की ओर से वकील श्री अक्षय पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 व 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की जानकारी होने पर अपीलान्टगण ने आप न्यायालय में दिनांक 24.08.2016 अपील को प्रस्तुत कर दी थी, जो आप न्यायालय द्वारा दिनांक 09.09.2016 को दर्ज कर सुनवाई के नोटिस जारी किये गये, किन्तु सुनवाई के दौरान यह जानकारी में आया कि प्रतिवादी भंवरलाल की [illegible] अपील प्रस्तुत करने से पूर्व हो चुकी है, जिसे अपील में पक्षकार नहीं बनाया है। उक्त आपत्ति के मद्देनजर अपीलान्ट द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या 44/16 नई अपील प्रस्तुत करने की अनुमति के साथ विड्रो कर ली गयी। आदेश की पालना में भंवरलाल के वारिसान को पक्षकार बनाकर पुनः यह अपील प्रस्तुत की जा रही है। अतः मयाद कण्डोन	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि आप न्यायालय द्वारा अपील पुनः पेश करने की अनुमति नहीं दी गयी है। पूर्व में जो अपील पेश की थी वह भी मयाद बाधित थी। अपीलान्ट ने जानबूझकर अपील विलम्ब से प्रस्तुत की है जो इसी स्टेज पर खारिज की जावे।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण के गुणावगुण के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने वाद में लिये गये आधारों पर कोई विवेचन नहीं किया है तथा पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्ट को बिना सुने निर्णय पारित कर दिया है, जो त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट द्वारा मूलवाद में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।

रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को विधि सम्मत बताते हुए अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 08.03.2016 अनुसार पत्रावली में जवाब हेतु दिनांक 05.04.2016 की पेशी नियत की गयी। दिनांक 05.04.2016 को पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर होने से प्रकरण में पेशी दिनांक 11.05.2016 को नियत की गयी, किन्तु उक्त दिनांक को पत्रावली पेश नहीं हुई एवं सीधे ही बिना किसी आदेशिका के दिनांक 26.05.2016 को पत्रावली राजस्व कैम्प में रखकर अधिनस्थ न्यायालय अपीलान्ट/वादीगण का वाद खारिज कर दिया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2016 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारान को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर एवं सुनकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर निर्णय पारित करें। पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.01.2023 को उपस्थित रहें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 14.11.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.12.14 15:01:25 IST
Reason: SelfAttested